रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2001/आश्विन 2, 1923
No. 252] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2001/ASVINA 2, 1923

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2001

**सं. एल-7/25( 1 )/2001.**—सी.ई.आर.सी.-विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं अन्य प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन 2001 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

**1. विषय**

इन विनियमों के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) (प्रथम संशोधन) विनियम 2001 कहा जायेगा।

**2. प्रारम्भ**

यह विनियम 29 मई 2001 से प्रभावी माने जायेंगे तथा 31-3-2004 तक प्रभावी रहेंगे, बशर्ते कि इनकी इससे पहले समीक्षा न की जाए अथवा आयोग द्वारा इनका समय न बढ़ाया जाए।

**3. नियम 4.4 की धारा ( ध ) में उपबंध का जोड़ा जाना**

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन 2001 में, विनियमन 4.4 के अन्त में धारा ( ध), अध्याय 4, में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जायेगा :—

बशर्ते उन ट्रांसमिशन परियोजनाओं के मामले में जिनका क्रियान्वयन आई.पी.टी.सी./जे.वी. मार्गों द्वारा किया गया है, के चालू होने के प्रथम वर्ष में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की वास्तविक पूंजी लागत का 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) ओ एण्ड एम व्यय के रूप में दिया जाएगा और बाद के वर्षों में इसमें उपरोक्त धारा (घ) में दिए गए फार्मुले के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

**4. विनियम 4.10 में संशोधन**

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन 2001 के नियम 4.10 के अध्याय 4 में जहां-जहां "ट्रांसमिशन युटिलिटि" शब्दों का प्रयोग हुआ है उनको "पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड" द्वारा संस्थापित किया जाए।

**5. नया विनियम 4.10 ( ए ) का प्रतिस्थापन**

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन 2001 में अध्याय 4 में विनियम 4.10 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

**4.10 ( ए ) ट्रांसमिशन मेजोरेशन फैक्टर**